59

श्री मान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा, संभाग रीवा म0प्र0

Rs.30/-

R5416-अ/16

विनोदकुमार पाण्डेय तनय मंगलेश्वर प्रसाद पाण्डेय निवासी पिपरिया रीवा, तह0 हुजूर, जिला -रीवा म0प्र0 --------आवे0/निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्री मती शान्ती देवी पत्नी भोला प्रसाद निवासी बेलवा पैकान, तहसील मनगवां, जिला - रीवा म0प्र0

2- श्रीमती अमिता देवी पत्नी जितेन्द्र कुमार दुबे निवासी इन्द्रानगर रीवा, तह हुजूर, जिला -रीवा म0प्र0 --- अना0/गैर निगरानीकारगण

अधिवक्ता श्री अमरलाल त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत 22-9-16

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 15/7-2016 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवासंभाग रीवाम0प्र0,प्रक्र- 1169/अपील/15-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(2) म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम बेलवा पैकान की भूमि आराजी नम्बरी 1645/1 रकबा 0.166 हे0, के संयुक्त भूमिस्वामी निगरानीकार व राजेन्द्र प्रसाद वगैरह संयुक्त रुप से दर्ज रिकार्ड है तथा 1645/2 रकबा 13.81 एकड़ विधि विरुद्ध रुप से गैर निगरानीकार क्र0 1 ने फर्जी नामान्तरण संयुक्त भूमिस्वामियों के बिना सूचना फर्जी नामान्तरण करा लिया, इतना ही नही विधि विरुद्ध रुप से उक्त फर्जी नामान्तरण के आधार पर भूमि का पृथक से बिना सह स्वामियों को सूचना दिये मनमानी रुप से पटवारी तहसीलदार से साठ गांठ करके नक्शा तरमीम करा लिया जिसके विरुद्ध नक्शा सुधार हेतु अपर कलेक्टर के न्यायालय मे प्रकरण

2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 5416—दो / 2016 निगरानी जिला —रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण कमांक 1169 / 15—16 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—7—16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत प्रारंभिक तर्को पर विचार किया गया। अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के आदेश दिनांक 15—7—16 में निम्नवत् निष्कर्ष अंकित है— **" राजस्व मण्डल के व्दारा दिये गये निर्देश के अनुसार शांतिदेवी के व्दारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत नक्शा सुधार आवेदन के अनुसार तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न नक्षा ट्रेस दिनांक 14—5—15 को अनुमोदिन कर संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार नक्शा सुधार किये जाने का आदेश दिया गया है। तथा रिस्पा.क. 2 अमिता देवी व्दारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 5—1—16 निरस्त कियागया है। अपर कलेक्टर के व्दारा मान.राजस्व मण्डल के व्दारा पारित आदेश में दिये गये निर्देशानुसार आदेश पारित किया गया है।"** जब अधीनस्थ न्यायालय व्दारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में अमल कार्यवाही की जाती है , जब ऐसे अमल आदेश की अपील प्रचलन—योग्य नहीं होती, अपितु वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के अपीलीय/ निगरानी न्यायालय में अपील करना होती है, जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 15—7—16 में निकाला गया निष्कर्ष उचित होने से निगरानी निरस्त की जाती है। सदस्य	